

आपराधिक प्रक0क्र0 757/2010

संस्थित दिनांक-06.12.2010

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

अशोक पुत्र सीताराम दुबे उम्र 57 साल

निवासी ग्राम आलोरी थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

[आज दिनांक 21.04.2017 को घोषित]

अभियुक्त पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.09.10 को सेवा सहकारी संस्था पिपरौली के सेल्समैन होते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किए जाने और जानकारी चाहे जाने पर उन्हें गलत एवं भ्रामक जानकारी जानबूझकर दी और संग्रहण रजिस्टर भी मौके पर अपूर्ण पाया गया जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन किया है।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि गोहद राजस्व वृत्त में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा ग्राम एंचाया में दो ड्रम नीला कैरोसिन उचित मूल्य दुकान के बाहर झाड़ियों में रखा होने की शिकायत की जांच हेतु दिनांक 03.09.2010 को निर्देशित किया गया जिसके पालन में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर पहुंचकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आर0एस0 भदौरिया द्वारा मौके पर जाकर पूछा तो वहां रामस्वरूप दुबे सरपंच पति, अन्य कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि झाड़ियों में दो ड्रम नीला कैरोसिन भरा रखा है, कुछ दूरी पर दो ड्रम पाए गए जिनके संबंध में अभियुक्त से पूछने पर उसने अपने ड्रम होने से इंकार किया। इसकी सूचना एस0डी0ओ0 गोहद को दी गयी, जिनके निर्देशानुसार उक्त ड्रम का पंचनामा बनाकर अभियुक्त को सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपुर्द किया गया। अभियुक्त से स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी जबा किए गए। अभियुक्त द्वारा उक्त स्टॉक पंजी व वितरण रजिस्टर में अनियमितता पाए जाने संबंधी प्रतिवेदन सहित एस0डी0ओ0 गोहद को मय दस्तावेज व कथन प्रस्तुत किए। तत्पश्चात्

21.4.2017  
गोहद जिला भिण्ड  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

एसडीओ गोहद द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को एफओआईआर पंजीबद्ध कराए जाने हेतु आदेशित किए जाने पर अप0क0-200/2010 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती पत्रक तैयार किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया।


4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.09.10 को सेवा सहकारी संस्था पिपरौली के सेल्समैन होते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किए जाने और जानकारी चाहे जाने पर उन्हें गलत एवं भ्रामक जानकारी जानबूझकर दी और संग्रहण रजिस्टर भी मौके पर अपूर्ण पाया गया जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन किया है?

#### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से रामेन्द्रसिंह भदौरिया अ०सा० 1, पंकज श्रीवास्तव अ०सा० 2, राकेश अ०सा० 3, रामस्वरूप अ०सा० 4, मोहकमसिंह अ०सा० 5, सैनिक मनीराम अ०सा० 6, इन्द्रवीर अ०सा० 7, आर०बी०सिंह अ०सा० 8, असवंतसिंह अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य में स्वयं आरोपी उदयवीर व०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

6. रामेन्द्रसिंह भदौरिया अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 03.09.10 को अनुविभागीय गोहद के कार्यालय में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 04.09.10 को एसडीएम को सूचना मिली जिसके आधार पर उनके साथ जाकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर रखे दो ड्रम कैरोसिन के निरीक्षण करने हेतु पहुंचे थे। वहां पर दुकान के संचालक अशोक दुबे, पंकज श्रीवास्तव व अन्य लोग बैठे थे। उन्हीं लोगों में से रामस्वरूप दुबे, तत्कालीन सरपंच पति ने बताया था कि दिनांक 03.09.10 को उन्हें सूचना मिली कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया से कुछ दूरी पर झाड़ियों में दो ड्रम कैरोसिन छिपाकर रखे हैं। इस सूचना के आधार पर वे मौके पर आए और देखा कि दुकान से कुछ दूरी पर दो ड्रम कैरोसिन झाड़ियों में छिपाकर आड़े (लेटी अवस्था में) रखे गए, जिस संबंध में उन्होंने दुकान संचालक अशोक दुबे को बुलाकर पूछताछ की कि ये ड्रम उसके तो नहीं हैं, इस पर अभियुक्त ने कहा कि 03.09.10 को उनकी दुकान पर 4200 लीटर कैरोसिन आया है जो दुकान पर रखा है, यह ड्रम उनके नहीं हैं। उक्त सूचना रामेश्वर दुबे द्वारा एसडीएम को दी गयी थी और एसडीएम द्वारा श्री दुबे को मौके का पंचनामा बनाकर उक्त दोनों ड्रमों को शासकीय

  
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला सिविल मजिस्ट्रेट



उचित मूल्य की दुकान पर रखने के फोन पर निर्देश दिए थे, तब दुबे ने मौके का पंचनामा प्रपी० 1 बनाया जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं।

7. साक्षी यह कथन करता है कि उक्त निर्देशों के तहत जब रामस्वरूप दुबे द्वारा कार्यवाही की जा रही थी उस समय गांव के ब्रजेश एवं अन्य लोग अपना टेक्टर लेकर आए एवं उन ड्रमों को ले जाने का प्रयास करने लगे तब रामस्वरूप दुबे ने उन्हें रोका और बताया कि इसकी सूचना एसडीएम को दे चुके हैं और उनके फोन पर दिए आदेशानुसार पंचनामा बनाकर उन्हें सुरक्षित रखने हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर रख रहे हैं, जिसके बाद वे लोग अपना टेक्टर लेकर चले गए। दुकान में रखे हुए उक्त दोनों ड्रमों को खोलकर देखा तो उनमें नील कैरोसिन लगभग चार सौ लीटर रखा पाया गया। इसके अतिरिक्त दुकान में गेहूं के 93 कट्टे (बोरी 50 किलोग्राम), शक्कर 175 किलो रखी पाई गयी थी। साक्षी यह बताते हैं कि आरोपी से इस संबंध में पूछा गया कि नीला कैरोसिन तो केवल शासकीय उचित मूल्य की दुकान को प्रदान किया जाता है तो वहां कैसे रखा पाया गया तो इस संबंध में अभियुक्त ने कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया। साक्षी कण्डिका 2 में कथन करता है कि दिनांक 03.09.10 को लीड संस्था गोहद द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर भेजा गया 4200 लीटर नीला कैरोसिन इन दो ड्रमों के अलावा अन्य 20 ड्रमों में रखा पाया गया था, एक ड्रम में लगभग 200 लीटर कैरोसिन पाने का कथन करते हैं।

8. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य प्रकट होता है कि दिनांक 03.09.10 को सरपंच पति रामस्वरूप दुबे द्वारा कार्यवाही की गयी थी जो पंचनामा प्रपी० 1 बनाया गया है वह दिनांक 04.09.10 का उल्लेखित है। अभिकथित पंचनामे के विवरण के अनुसार जब्तशुदा दो ड्रम नीला कैरोसिन अभियुक्त से जब्त न होकर गोदाम के बगल में झाड़ियों में रखा पाया गया था जिस पर अभियुक्त द्वारा कोई अधिकार नहीं बताया था। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अ०सा० 1 कण्डिका 4 में यह स्वीकार करते हैं कि सहकारी संस्था पिपरौली को 4200 लीटर कैरोसिन जो विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गोहद से मिला था, वह उक्त संस्था की दुकान पर पाया गया था। इन्द्रवीर अ०सा० 7 का कथन महत्वपूर्ण है जो कि विपणन सहकारी संस्था गोहद पर सैल्समैन के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि दिनांक 03.09.10 को वे शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर गए थे वहां 4200 लीटर कैरोसिन आवंटन का तेल उतरवाया था। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त 4200 लीटर के बिल की पावती अभियुक्त से ली थी। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्त को शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सैल्समैन के नाते उसे 4200 लीटर नीला कैरोसिन प्रदान करने का कथन करते हैं। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त को जितना कैरोसिन 4200 लीटर प्रदान किया गया




था वह अभियुक्त के पास दिनांक 04.09.10 के पंचनामा प्र०पी० 1 तैयार करते समय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अ०सा० 1 ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर पाया था।

9. साक्षी रामेन्द्र अ०सा० 1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा मौके पर संतोषजनक जबाब नहीं दिया और भ्रामक जानकारी दी साथ ही विक्रय रजिस्टर मांगने पर गलत जानकारी दी। उक्त रजिस्टर बैंक सुपरवाईजर के पास होना बताए थे एवं बैंक सुपरवाईजर से चर्चा करने पर उन्होंने रजिस्टर न होना बताया था। साक्षी यह कथन करते हैं कि अभियुक्त द्वारा कालाबाजारी करने के उद्देश्य से जानबूझकर दो ड्रम बाहर छोड़े थे जबकि वे दुकान के अंदर होने चाहिए थे। तत्पश्चात् दो ड्रम तेल का जब्ती पंचनामा प्र०पी० 2 बनाए जाने, सुपुर्दगी पंचनामा प्र०पी० 3 बनाए जाने तथा अपनी रिपोर्ट प्र०पी० 4 तैयार कर मय दस्तावेज एसडीएम गोहद को प्रस्तुत किए जाने का कथन करते हुए उक्त प्र०पी० 2 लगायत 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में संलग्न जब्ती पत्रक प्र०पी० 2 में अभियुक्त से दो ड्रम नीला कैरोसिन जब्त नहीं किया गया है, बल्कि लावारिस अवस्था में जब्त होना बताया गया है। साथ ही अभियुक्त को जब्तशुदा दो ड्रम तेल प्र०पी० 3 के सुपुर्दगीनामा के अनुसार सुपुर्दगी पर दिया जाना दर्शाया गया है। ऐसे में अभियुक्त के आधिपत्य से जब्ती नहीं हुई है।

10. प्रकरण में अ०सा० 1 द्वारा एसडीएम गोहद को प्र०पी० 4 की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किए जाने का तथ्य बताया गया है। अभिकथित पंचनामा प्र०पी० 1 जिसे अ०सा० 1 द्वारा सरपंच पति रामस्वरूप दुबे द्वारा तैयार करना बताया है, उक्त पंचनामा में यह लेख है कि "गोदाम के दक्षिण तरफ हैण्डपंप के पहले दो ड्रम लुडकाकर रखे गए थे, कुछ समय बाद रामस्वरूप दुबे मौके पर पहुंचे एवं गांव के राकेश शर्मा, रणवीरसिंह राणा चौकीदार गोदाम, सचिव अशोक दुबे, सोसाइटी अध्यक्ष रामनाथ सिंह मौजूद थे, इन सबके सामने दो ड्रम मिट्टी के तेल से भरे गोदाम पर निरीक्षण पर पाया गया। टेक्टर क्रमांक 724 स्वराज से अवधेश, ब्रजेश एवं पट्टे पिता अशोक थापक आए उन्होंने रामस्वरूप दुबे से कहा कि ड्रम उनके हैं, वे ले जायेंगे तब रामस्वरूप ने कहा कि ड्रम तो जब्त हो गए हैं, अब नहीं ले जा सकते हैं। तब उन लोगों ने कहा कि ड्रम का तेल ढक्कन खोलकर फेला देते हैं एवं ड्रम खाली कर ले जायेंगे तब रामस्वरूप ने जबाब दिया कि अब तेल जब्त हो गया है इसे फेला नहीं सकते तब वे अपना टेक्टर लेकर चले गए।" इस प्रकार से पंचनामे के अनुसार कथित दो ड्रम अवधेश, ब्रजेश व पट्टे नाम के तीन व्यक्तियों द्वारा अपने बताए गए थे, जब प्र०पी० 1 की कार्यवाही हो रही थी। प्रकरण में उक्त अवधेश, ब्रजेश व पट्टे नाम के किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है जिनसे स्पष्ट हो सकता कि उन्हें उक्त कैरोसिन किस व्यक्ति से प्राप्त हुआ।

11. प्रकरण में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अवधेश, ब्रजेश व पट्टे नाम के व्यक्तियों से अ०सा० 1 द्वारा पूछताछ कर कथन लिए जाने के संबंध में प्र०पी० 4 में लेख किया गया है। प्र०पी० 4

  
रायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला सिविल प्रशासन



५५

के प्रतिवेदन में कण्डिका 4 के पश्चात् उक्त ब्रजेश, अवधेश व पट्टे नाम के व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिनांक 14.09.10 को उनके बयान देने के लिए उपस्थित होने को कहा गया और नोटिस अनुसार उक्त तीनों व्यक्ति उपस्थित हुए और उनके द्वारा अ०सा० 1 को कथन दिए गए जिसमें ब्रजेश ने दिनांक 03.09.10 को गांव में ही न होने का कथन किया और पंचायत के चुनाव में अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने, रामस्वरूप दुबे आदि से गोली चलने की बुराई होने के कारण झूठा नाम लिखाए जाने का तथ्य लेख है। अवधेश व पट्टे नाम के व्यक्तियों द्वारा क्या कथन दिया गया, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण हैं कि उक्त व्यक्तियों अवधेश, ब्रजेश व पट्टे को कथन देने के लिए 14.09.10 का नोटिस दिया गया था जबकि प्र०पी० 4 का प्रतिवेदन दिनांक 06.09.10 को ही तैयार कर अनुविभागीय गोहद के समक्ष पेश किया जाना लेख है। संलग्न दस्तावेजों में ब्रजेश, अवधेश व दिग्विजय उर्फ पट्टे के कथन संलग्न होना लेख है किन्तु अभियोगपत्र में उक्त कथन संलग्न नहीं हैं, केस डायरी में संलग्न हैं। जिनमें दिनांक 14.09.10 की दिनांक अंकित है, जबकि प्र०पी० 4 का प्रतिवेदन यदि दिनांक 06.09.10 को ही तैयार कर लिया गया तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा की गयी कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है।

12. प्रकरण में जिन रामस्वरूप दुबे के द्वारा प्र०पी० 1 का पंचनामा, तैयार करना, अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करना तथा समस्त कार्यवाही में उपस्थिति होना दर्शाया गया है, वे अ०सा० 4 के रूप में परीक्षित कराए गए वे अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करते हैं। अ०सा० 1 का प्रतिवेदन प्र०पी० 4 इस तथ्य के संबंध में महत्वपूर्ण हैं उसके पृष्ठ क्रमांक 4 पर सेवा सहकारी समिति पिपरौली में दिनांक 03.09.10 के पूर्व दिनांक 25.07.10 को 2550 लीटर तेल आने और उसका वितरण दिनांक 26.07.10 को 2475 लीटर एवं दिनांक 27.07.10 को 1075 लीटर के रूप में किए जाने तथा इसी प्रकार से आरोली के संग्रह रजिस्टर का निरीक्षण करने पर दिनांक 03.09.10 के पूर्व 25.07.10 को 1600 लीटर तेल आने जिसमें दिनांक 26.07.10 को 1200 लीटर एवं 27.07.10 को 390 लीटर विक्रय, शेष निल होना पाए जाने का कथन किया गया है। कथित स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर के भरे न होने के संबंध में तथ्य लेख किया गया है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता आर०बी०एस० वैस अ०सा० 8 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंने दिनांक 21.09.10 को आर०एस० भदौरिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सेवा सहकारी संस्था पिपरौली एवं आरोली के स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर को जब्त किया गया था। साक्षी कण्डिका 3 में यह स्वीका करते हैं कि उन्होंने संस्था के किसी कर्मचारी से उक्त रजिस्टर जब्त नहीं किए थे। अभिकथित रजिस्टर प्र०पी० 9 लगायत प्र०पी० 12 के रूप में अभिलेख पर संलग्न हैं जो कि अ०सा० 1 के आधिपत्य में दि० 06.09.10 से ही मौजूद थे, जिसका उल्लेख प्र०पी० 4 में किया गया है फिर भी अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह बताते हैं कि उन्होंने दिनांक 21.09.10 को चार रजिस्टर जब्त किए थे। ऐसे में उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जो कैरोसिन अभियुक्त को सेवा सहकारी संस्था एंचाया के सेल्समैन

21/9/10

राष्ट्रियक रजिस्ट्रार प्रमाण प्रमाण



कें रूप में दिनांक 03.09.10 के पूर्व स्टॉक में वितरण हेतु दी गयी थी वह अभिलेख अनुसार वितरित हो चुकी थी और जो कैरोसिन दिनांक 03.09.10 को अभियुक्त को स्टॉक में वितरण हेतु दी गयी वह अभियुक्त के पास पाई गयी थी। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा अभिकथित रूप से अभिलेख में भ्रामक या गलत जानकारी दिए जाने का तथ्य स्वयं अ०सा० 1 द्वारा नहीं पाई गयी थी। प्र०पी० 9 लगायत 12 में अभियुक्त के हस्ताक्षर स्टॉक वितरण के उपरांत दर्शित है। ऐसे में उसके द्वारा अभिलेख में कोई भ्रामक जानकारी या तथ्य छिपाया जाना प्रमाणित नहीं है।

13. अनुसंधानकर्ता आर०बी०सिंह० अ०सा० 8 यह कथन करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त को गिरा कर उससे पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रपी० 7 लिया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में प्रपी० 7 का मेमोरेण्डम के साक्षी मनीराम अ०सा० 6 एवं आरक्षक मोहकमसिंह अ०सा० 5 है जो कि दिनांक 24.09.10 को अभियुक्त से पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिया जाना बताते हैं। अभिकथित मेमोरेण्डम प्र०पी० 7 में लेख है कि कथित दो ड्रम उसी के थे किन्तु डर के कारण अपने होने से मना कर दिया। उक्त ड्रम शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया के छिपाकर झाड़ियों में रखे थे। यही तथ्य मोहकमसिंह अ०सा० 5 एवं मनीराम अ०सा० 6 द्वारा बताया गया है। मोहकम अ०सा० 5 एवं मनीराम अ०सा० 6 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं लिया था। ऐसे में सर्वप्रथम तो अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए तथ्य प्रकट किया जाना दर्शित नहीं है। द्वितीयतः भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 26 के अधीन पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत के अपवाद स्वरूप धारा 27 में उपबंधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी। "परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।" प्रकरण में अभियुक्त से अभिकथित मेमोरेण्डम प्र०पी० 7 के आधार ली गयी जानकारी के आधार पर किसी तथ्य का पता नहीं चला है, बल्कि प्र०पी० 7 संस्वीकृति स्वरूप का है जो कि उसके विरुद्ध प्रमाणित नहीं की जा सकती है। साथ ही प्र०पी० 7 की कार्यवाही का कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति साक्षी नहीं है बल्कि पुलिस के दो व्यक्ति साक्षी हैं। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध प्र०पी० 7 प्रमाणित नहीं हो सकती है।

14. प्रकरण में साक्षी पंकज श्रीवास्तव अ०सा० 2 भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान एंचाया पर सेल्समैन का कार्य करना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि उक्त गोदाम से पिपरौली एवं आलौरी गांव का खाद्यान वितरण होता है। साक्षी यह भी बताते हैं कि दिनांक 03.09.10 को उनके पास 4200

  
गायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
तेलंगाना प्रिण्ड पाठ



लीटर कैरोसिन तेल आया था जिसमें से 2600 लीटर पिपरौली का और 1600 लीटर आलौरी का था। दिनांक 04.09.10 को एसडीएम द्वारा जांच कराई गयी तो उक्त तेल पूरा पाया गया किन्तु दो ड्रम के बारे में कोई जानकारी न होना बताते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर उसे सूचक प्रश्न में सुझाव दिया गया कि अभियुक्त ने एसडीएम सहाब को स्टॉक रजिस्टर की जानकारी गलत दी थी तो साक्षी स्वीकार करता है किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताने में अस्मर्थ है कि अभियुक्त ने स्टॉक रजिस्टर की क्या गलत जानकारी दी थी। प्रकरण में साक्षी राकेश अ०सा० 3 के द्वारा भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

15. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन की ओर से न तो मौखिक साक्ष्य के आधार पर और न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित किया जा सका है कि अभियुक्त ने अभिकथित दो ड्रम नीला कैरोसिन विक्रय करने के उद्देश्य से छिपाकर रखा था और न ही यह तथ्य प्रमाणित किया जा सका है कि अभियुक्त ने सहकारी संस्था के सेल्समैन होते हुए भ्रामक व गलत जानकारी देते हुए संग्रहण एवं वितरण पंजी को अपूर्ण रखा। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही स्वयं दस्तावेजों के विरोधाभासी है। साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं। अभियुक्त से कोई जब्ती नहीं हुई है। अभियोजन के द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णतः तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अभियुक्त के विरुद्ध तैयार की गयी है। ऐसे में यह अभियुक्त पर यह आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि उसने दिनांक 04.09.10 को सेवा सहकारी संस्था पिपरौली के सेल्समैन होते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किए जाने और जानकारी चाहे जाने पर उन्हें गलत एवं भ्रामक जानकारी जानबूझकर दी और संग्रहण रजिस्टर भी मौके पर अपूर्ण पाया गया जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

21/09/2010

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
रोहत ताला सिण्ड पठाण




17. प्रकरण में जब्तशुदा नीले केरोसिन के दो ड्रम अपील अवधि बाद जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को नियमानुसार व्ययनित हेतु भेजे जावे, अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित


कर घोषित किया गया।



ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।



न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश